



## प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 10.10.2024

- महिला सम्बन्धी अपराध में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा दहेज हत्या की घटना कारित करने वाले 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।
- थाना रसूलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0-381/2024 धारा 80(2)/85/3(5)/92 बीएनएस व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित था अभियुक्त।

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना रसूलाबाद पर दिनांक 11.09.2024 को वादी श्री रामगोपाल पुत्र स्व0 श्री राम निवासी कनौली ठठिया जनपद कन्नौज द्वारा तहरीर दी गयी कि वादी की पुत्री के ससुरालीजन द्वारा दहेज की मांग को लेकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-0381/2024 धारा 80(2)/85/3(5)/92 बीएनएस व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 01 नफर नामजद वांछित अभियुक्त शिवदत्त उर्फ छोटू पुत्र करन उर्फ रामकरन सिंह निवासी उसरी भगवन्तपुर, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात को आज दिनांक 10.10.2024 को अभियुक्त के घर ग्राम उसरी भगवन्तपुर, थाना क्षेत्र रसूलाबाद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. शिवदत्त उर्फ छोटू पुत्र करन उर्फ रामकरन सिंह निवासी उसरी भगवन्तपुर, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात।

### अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-381/2024 धारा 80(2)/85/3(5)/92 बीएनएस व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना रसूलाबाद, कानपुर देहात।

### गिरफ्तारी करने वाली थाना रसूलाबाद पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा, चौकी प्रभारी कहिन्जरी
2. आरक्षी 271 विनोद कुमार
3. का0 318 अंकित कुमार